

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2813 /14-1, दिनांक, अमरोहा, जून, 14/6/ 2021,
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :- जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन.एच.-09) (पुराना एन.एच.-24) किमी 136.480 से 141.780 तक टोरेट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा दांयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे० संरक्षित वन भूमि का (बिना वृक्ष पातन के) गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन.एच.-09) (पुराना एन.एच.-24) किमी 136.480 से 141.780 तक टोरेट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा दांयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे० संरक्षित वन भूमि का (बिना वृक्ष पातन के) गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। अतः भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरित।

भवदीय
(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।